संख्या-02/2016/1329/22-4-15-48(65)/11

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 18 जनवरी, 2016

विषय- जनपद अमेठी में जिला कारागार के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44022/नम-4/72, दिनांक- 12 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद अमेठी में जिला कारागार के निर्माण के लिए ग्राम-सकरांवा व पहाड़पुर, परगना अमेठी, तहसील-गौरीगंज, जनपद अमेठी के 154 कृषकों की 25.688 हे0 भूमि, जिसकी लागत रू0 33,26,22,000/-(रूपया तैंतीस करोड़ छब्बीस लाख बाइस हजार मात्र) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 5,00,00,000/-(रूपया पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशो में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-09-नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि के क्रय हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या-ई-12-34/दस-2016, दिनांक 13 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-02/2016/1329(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, अमेठी।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in